

RR No. 2017  
18-7-2013

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.1(1)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक 15 JUL 2013

—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8.7.2013 के द्वारा निम्न अधिकारी को उनकी प्रथम श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुये आवंटित किया गया आवास का कब्जा नहीं लेने ईच्छुक होने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किया जाता है:—

क.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	15/2013	श्री मनीष चौहान आईएएस विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	604, मॉडल, टाउन, मालवीय नगर, जयपुर।	28.2.2035

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी, कार्मिक क-1, विभाग, जयपुर।
5. वित्तीय लेखाधिकारी/कोषाधिकारी लोष कार्यालय शासन सचिवालय, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावे।
7. अधिशाही अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ जयपुर वि०वि०निगम लि० गांधीनगर, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावे।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लोकबोर्ड में चस्पा करावे।
10. संबंधित अधिकारी।
11. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
13. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
14. अतिरिक्त निजी सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग को उनकी टीप संख्या निस/विशास/चि०शि०/कार्या०/13/दिनांक 8.7.2013 के क्रम में।
15. रक्षित पत्रावली।

  
(राजकुमार शर्मा)  
अनुभागाधिकारी



राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:- एफ.3(1)साप्र/2/2013-पार्ट

जयपुर, दिनांक 15 JUL 2013

-: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.5.2013 के द्वारा निम्न अधिकारी को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवासों का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है:-

क.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	61/2013	डा0 मिनाक्षी वरिष्ठ प्रदर्शक प्रोस्थोडॉन्टिक्स, राजकीय दन्त महाविद्यालय जयपुर।	जीए/गा/टी-1, 189 विद्याधर नगर जयपुर	31.7.2045

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
- 2 निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- 3 मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 अधीक्षक, राजकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर।
- 5 कोषाधिकारी कोष कार्यालय, जयपुर शहर जयपुर।
- 6 संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटित द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावे।
- 7 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ जयपुर टि0वि0 निगम लि0 विद्याधरनगर जयपुर।
- 8 प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावे।
- 9 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करावे।
- 10 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करावे।
- 11 संबंधित अधिकारी।
- 12 निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 13 शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
- 14 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
- 15 रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव